न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 53 / 2009

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 काना पुत्र गोमा		1 भलीया पुत्र गेनाजी
2 झमू बेचा गोमा जातिगण वागरी निवासीगण देलवाडा हाल बासडा धनजी तहसील भीनमाल		2 चूनीया पुत्र गेनाजी
		3 मु. रामू बेवा गेनाजी जातिगण वागरी निवासी देलवाडा तहसील भीनमाल
		4 हीरा पुत्र गोमाजी जाति वागरी निवासी बासडा धनजी तहसील भीनमाल
		5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सिकन्दर अली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री त्रिलोक चन्द्र मेहता, विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 8.6.18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 58 / 2004 काना वगैरा बनाम भलीया वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2009 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम देलवाडा के खसरा नम्बर 544, 553, 978 व 1195 कुल खसरा 4 जिसका कुल रकबा 6.90 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 के दादा उमा के नाम की खातेदारी की दर्ज होने के कारण अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की पुश्तैनी भूमि थी। उमा प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व ही फौत हो चुका था एवं उस समय उमा का बडा पुत्र गेना था,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

तो कर्ता खानदान होने के कारण सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि अकेले गेना के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी, जबकि उक्त सम्पति गोमा एवं गेना की सह खातेदारी कब्जा काश्त की थी। उक्त भूमि पर अपने हिस्से की भूमि पर अपीलाण्ट्स काबिज काश्त है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज होने के कारण अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट भलीया ने अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पक्ष में इकरारनामा दिनांक 20.09.2004 को यह स्वीकार किया कि उपरोक्त आराजी में 1/2 हिस्से में गोमा के वारिशान का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया एवं न ही दस्तावेजात् की समुचित जांच की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य का सही विवेचन तनकी के अनुसार नहीं किया एवं जैर अपील आदेश के जरिये वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 2002 पेज 125 एवं आर0आर0डी0 2008 (एच.सी.) पेज 1 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि उमा की होना बताते हुए उक्त भूमि में अपना 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। उक्त सम्पूर्ण तथ्य विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि पूर्व से ही गेना पुत्र उमा की खातेदारी की रही है तथा गेना के फौत होने पर गेना के वारिशान के तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति गेना काबिज काश्त थे तथा बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज थे। अपीलाण्ट्स उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर अपना कब्जा काश्त होने के तथ्य प्रकट करते है, जो गलत है, क्योंकि अपीलाण्ट बाहर रहते है, जिनका मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाबदावा प्रस्तुत किया, उसमें स्पष्ट अंकित किया कि उक्त भूमि कभी भी पैतृक भूमि नहीं थी। अपीलाण्ट ग्राम देलवाडा मैं निवास ही नहीं करते है तथा न ही कभी मौके पर काबिज काश्त रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तनकीवार विनिश्चय अंकित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में जो तथ्य प्रकट हुए है, वे इस प्रकार है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट्स द्वारा जैर अपील भूमि प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व उमा के नाम की खातेदारी दर्ज होना बताते हुए उमा की वंशावली अनुसार उमा के दो पुत्र गेना एवं गोमा हुए, जिनमें से गेना के वारिशान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 होना जाहिर किया एवं गोमा के वारिशान अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 होना जाहिर किया। अपीलाण्ट द्वारा बतौर वादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह जाहिर किया कि प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व खातेदार उमा फौत हो गया था तथा बतौर कर्ता खानदान गेना था, जिसके कारण अकेले गेना का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज हो गया, जबकि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का उक्त भूमि में संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा निहित है। इस अनुसार उक्त वादस्थ भूमि में अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा जो जवाबदावा एवं प्रतिदावा प्रस्तुत किया, उसके अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने वादी के वाद में वर्णित तथ्यों को पूर्णतः नकारते हुए यह कथन किया कि उक्त भूमि जागीर पुनर्ग्रहण किये जाने के समय गेना की खातेदारी दर्ज की गई थी एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही उक्त भूमि पर गेना बतौर खातेदार काबिज काश्त था। इस कारण उक्त भूमि किसी भी रूप में अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की पुश्तैनी भूमि नहीं रही। जागीर पुनर्ग्रहण के समय भी अपीलाण्ट के पूर्वज गोमा अपने परिवार सहित बासडाधनजी गांव में ही निवास करते थे एवं वर्तमान में भी गांव बासडाधनजी में ही निवास करते है। इस प्रकार वादस्थ भूमि पर उनका कोई कब्जा काश्त नहीं होना जाहिर किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा जरिये काउण्टर क्लेम के अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द कराने का निवदेन किया। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 7 विवाद बिन्दु कायम किए, जिनका दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जो इस तथ्य की ताईद करता हो कि उक्त भूमि पूर्व में उमा की खातेदारी रही हो, जो कालान्तरण में जरिये कर्ता खानदान गेना पुत्र उमा के नाम बतौर खातेदार दर्ज हुई हो। अपीलाण्ट द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, उनसे यह बखूबी साबित होता है कि उक्त भूमि गेना पुत्र उमा के नाम की खातेदारी की दर्ज रही है तथा अकेला गेना उक्त भूमि के खातेदार के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहा। हालांकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे में वर्णित तथ्यों की ताईद की एवं वाद को स्वीकार किया है, किन्तु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानानुसार दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य से अधिक प्रभावी मानी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 59 के अनुसार दस्तावेजो के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किऐ जा सकेंगे। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य प्रबल होने के कारण मौखिक साक्ष्य द्वारा उन्हे

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अतिक्रमित नहीं किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आर0आर0डी0 2002 पेज 125 में न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि को अपनी पुश्तैनी होने का कथन किया, किन्तु इन कथनों को साबित करने हेतु किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण जब अपीलाण्ट/वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का ही अधिकार नहीं था, तो उसे विभाजन की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार किसी भी रूप में प्राप्त नहीं होता है। इस कारण तथ्याभिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक सिद्धान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त आर0आर0डी0 2008 (एच.सी.) पेज 1 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त भी हस्तगत प्रकरण पर तथ्याभिन्न होने से चस्पा नहीं होता है, क्योंकि अपीलाण्ट वादस्थ भूमि को उमा की खातेदारी की होना साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित तथ्य है कि जैर अपील वादस्थ भूमि जागीर पुनर्ग्रहण से अकेले गेना पुत्र उमा के नाम से बतौर खातेदारी की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा अपीलाण्ट उक्त भूमि को उमा की होकर अपनी पुश्तैनी होना साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय पूर्णतः विधि सम्मत पाया जाता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2004 काना वगैरा बनाम भलीया वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2009 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 8.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर